

21/8/22

वकील वादी / उभयपक्ष उप० । वकील वादी ने प्रा०
पत्र पेश कर वाद को ~~बिना~~ / नोट प्रेस में खारिज
किए जाने का निवेदन किया । अतः पत्रावली को
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है । पत्रावली
फैसला शुमार नं. से कम की आकर दाखिल
दफ्तर हो ।

15